23.10.14 अधिवक्ता उत्तरदाता द्वारा दिनांक 16.10.2014 को पेश प्रार्थना-पत्र में पारित आदेश की पालना में पत्रावली पेशी में ली गई। अधिवक्ता उभयपक्ष एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त हो चुकी है। शेष रेस्पो. के नाम एनिटर्ड ग्राम से लगभग निजलाने एक माह से अधिक लगभग हो चुका है तथील पर्याप्त मानी जाती है बावजूद सूचना अनुपस्थित शेष रेस्पो. के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाती है। उत्तरदाता अधिवक्ता ने राजा न्यायालय के स्थगन आदेश में कृषि कनेक्शन की छूट देने का निवेदन किया जिसका अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा विरोध प्रकट किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनने एवं अवलोकन करने के पश्चात न्यायालय का निष्कर्ष है कि न्यायहित उत्तरदाता को विद्युत कृषि कनेक्शन की छूट दिया जाना विधि सम्मत है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

P.T.O.

तरीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	हाजा न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 17.05.2023 में संशोधन करते हुए उत्तरदाता को अपने कब्जे काश्त में कृषि विद्युत कनेक्शन स्थापित / प्राप्त करने की अनुमति प्रदान की जाती है शेष स्थगन आदेश मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार नंबर से कायम होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सरे इजलास सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर	